

कार्यालय, नगर पालिक निगम, मिलाई निविदा सूचना

मांक / लो.क.वि. / जॉन-१ / ३।२८

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 / सड़क एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से लागू एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम / अधिक एवं आयटम दर पर निम्नांकित कार्य हेतु दिनांक 07.01.2021 को साथ 5:30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 08.01.2021 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी, निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 02.01.2021 को साथ 5:30 बजे तक स्थिकार किये जायेंगे।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	वार्ड-09 कोहका पुरानी बस्ती कोहका में सीवरेज लाईन बिछाने का कार्य।	3.00	3000.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर
2	वार्ड-04 कृष्णा नगर में नाली एवं सीमेटीकरण कार्य।	2.50	3000.00	750.00	60 दिन	द एवं प्रवर
3	वार्ड-69 हुड़को पेट्रोल पंप के बाजू में मैदान समतलीकरण, प्रकाश व्यवस्था, बालीबाल पोल एवं नेट लगाने का कार्य।	2.00	2000.00	300.00	90 दिन	द एवं प्रवर
4	वार्ड-06 में पार्किंग निष्ठि द्वारा नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य। जोन-01 अंतर्गत वाय शेप ब्रिज में लगे ट्यूबलर पोल का संधारण कार्य।	1.60	2000.00	300.00	60 दिन	द एवं प्रवर
5		1.00	2000.00	300.00	45 दिन	द एवं प्रवर

सर्वानेन्यम एवं शर्ते— 1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जातेगी। 2. निविदा स्पीड पोर्ट अथवा रजिस्टर्ड लाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता / जोन आयुक्त, नगर पालिका एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, पेनकार्ड, अधिकार, जीवित दैंक सालवेरी प्रमाण, GST पंजीयन पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा “क” वाले प्रस्तुत करना है। एवं निविदा प्रत्यक्ष दर सहित लिफाफा “ख” में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मनकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अशा को स्वीकृत करने अथवा इनका न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निराण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1 % राशि की कटौती की जावेगी। 7. ठेकेदार द्वारा निविदा में अंको एवं शब्दों दर्जनों में स्पष्ट रूप से दरे प्रस्तुत करें नहीं किये जाने। 8. शासन के अदेश कमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की विशेषता में अंत की राशि इनकी बाध्य नहीं रहेगा। 9. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्य हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंकों में खाता खोलकर सीधे उनके बांबाते में श्रमायुक्त दरों के अनुकूल प्रतिशाह राशि जमा किया जाना है। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाए जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाही की जावेगी। 11. अधिकारी निविदा कार्यक्रम की अपवाह्यता विवरण द्वारा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपवाह्यता विवरण द्वारा निविदा निरासित करना अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य वर्ष अपवाह्यता के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 12. प्रत्येक कार्य के लिए पृथक्-पृथक् धरोहर राशि जमा करें एवं समयोजन की कार्रवाही नहीं होगी। 13. शासन के निर्देशानुसार G.S.T. एवं अन्य कर सम्बलित रहेगा। 14. विद्युत मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 15. निविदा क्रं 5 के लिये छ.ग. विद्युत मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 16. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पालिक निलाई [www.bhilaimaganigam.com](http://bhilaiurbanecg.gov.in) अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चीफ की वेबसाईट [www.bhilaiurbanecg.gov.in](http://bhilaiurbanecg.gov.in) से देखी जा सकती है।

जोन अम्युक्ट १६.१२.
जीन-०१
नगर पालिक निगम,
E मिलाई

जून-01

नगर पालिक निगम,
मिलाई